इक्ता का अर्थ प्रशासकीय अनुदान से है। इसका वर्णन निजाम - उल - मुल्क के ~~प्रशासनिक~~ तुसी के ग्रंथ सियासत नामा में मिलता है। यह सैनिक सेवा के बदले भूखण्ड राजस्व के आवंटन से संबंधित है। इसके माध्यम से एक तरफ कृषि अधिशेष को प्राप्त करने का प्रयास किया गया तो वही दूसरी तरफ अमीर, कुलीनों को इस माध्यम से प्रशासन का अंग बनाया गया। इस तरह इक्ता व्यवस्था का संबंध आर्थिक प्रशासनिक पहलू से जुड़ा है। मोहम्मद गौरी ने इक्ता व्यवस्था की शुरुवात की किंतु इल्तुतमिश ने इसे संगठित स्वरूप प्रदान किया।

उद्देश्य :-

(i) तुर्कों के पास भूमि क्षेत्र तो विस्तृत क्षेत्र थे किंतु संसाधन सीमित थे। अतः प्रशासनिक कार्यकुशलता एवं ~~प्रशासनिक~~ पर्याप्त राजस्व वसूली के लिए इक्तादारी व्यवस्था को लागू किया गया।

(ii) तुर्कों के आगमन के समय भारत में सामंती संरचना मौजूद थी जिसमें राजनीतिकरण ~~के~~ विखण्डीनीकरण की प्रवृतियां थी। अतः इस प्रवृति पर नियंत्रण स्थापित करके सुदृढ़ केंद्रीय सत्ता की स्थापना करना जरूरी था। इस क्रम में इक्ता व्यवस्था को लागु किया गया।

Scanned with CamScanner

(iii) स्थानीय समस्या का समाधान स्थानीय स्तर पर करना और कृषक वर्ग से अधिशेष वसूली कर उसे केंद्रीय खजाने तक पहुँचाने के लिए इक्ता व्यवस्था को लाया गया।

(iv) दूरवर्ती क्षेत्र को केंद्रीय सत्ता से जोड़ना तथा केंद्र की सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी इक्ता व्यवस्था लायी गयी। इस तरह इक्ता व्यवस्था बहुउद्देश्यीय स्वरूप से युक्त थी जिसमें सैनिक एवं कानून व्यवस्था का निर्माण करना, एक समर्थक अमीर वर्ग का निर्माण करना तथा आर्थिक अधिशेष को प्राप्त करने का उद्देश्य शामिल था।

विशेषताएं -

(1) इक्ता एक भूखण्ड का राजस्व था। इसे प्राप्त करने वाला इक्तादार। मुक्ति या वली कहलाता था।

(2) इक्ता क्षेत्र पर इक्तादार का वंशानुगत अधिकार नहीं था। वस्तुतः इक्तादार सुल्तान का अधिकारी था और समय-2 पर इसका स्थानान्तरण होता था।

(3) इक्तादार राजस्व वसूली के साथ-2 प्रशासनिक कार्य भी करता था जिसके तहत सैनिकों की नियुक्ति करना एवं कानून व्यवस्था का निर्माण करना था। इस व्यवस्था की खास बात फवाज़िल की अवधारणा

Scanned with CamScanner

थी जिसके तहत सैनिक, प्रशासनिक दायित्व को पूरे करने के पश्चात् बचे धन को केंद्रीय खजाने मे जमा करता था।

(4) इक्ता व्यवस्था का स्वरूप सामंती व्यवस्था से भिन्न ~~मिलता~~ था। सामंती व्यवस्था में सामंत भूस्वामी था और भूमि पर उसका वंशानुगत अधिकार था अतः उसका स्थानान्तरण नहीं होता था। साथ ही वहां फवाजिल की अवधारणा नहीं थी। वस्तुतः इक्तादार एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप मे था जिस पर सुल्तान का पूरा अधिकार था। दूसरी तरफ मुगलकालीन जागीरदार पद्धति से यह इस रूप में अलग थी कि जागीरदार को केवल संबंधित क्षेत्र के राजस्व का अधिकार था, प्रशासन का नहीं। और ना ही यहाँ फवाजिल की अवधारणा थी।

विभिन्न शासकों के समय हुए परिवर्तन :-

इक्ता व्यवस्था आर्थिक प्रशासनिक पहलू से जुड़ी थी। इसलिए शासन के सुदृढ़ीकरण के रूप में सुल्तानों ने समय-२ पर इसमें हस्तक्षेप किया। इसी क्रम में बलबन ने ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति कर इक्ता की आय-व्यय की जाँच पर बल दिया फलतः भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा।

Scanned with CamScanner

⇒ अलाउद्दीन खिलजी ने अनेक छोटी इक्ताओं का अधिग्रहण कर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अतः इक्तादारों के स्थानान्तरण पर बल दिया।

⇒ गयासुद्दीन ने इक्तादारों पर नियंत्रण बढ़ाने के क्रम में इक्तादारों की व्यक्तिगत आय तथा उनके सैनिक प्रशासनिक खर्चों को अलग कर दिया जिससे कि इक्तादार सैनिकों के वेतन और खर्च को हड़प ना कर सके।

⇒ मोहम्मद तुगलक ने इक्तादारों द्वारा नियुक्त सैनिकों का वेतन केंद्रीय खजाने से देने की नीति बनायी और इक्ता क्षेत्र में केंद्रीय राजस्व अधिकारी की नियुक्ति की। फलतः इक्तादारों पर नियंत्रण बढ़ा और वे असंतुष्ट हुए। यही वजह है कि उसे अमीरों के असंतोष और विरोध का सामना करना पड़ा।

⇒ फिरोज ने इक्तादारों के असंतोष को दूर करने के लिए तुष्टिकरण की नीति अपनायी जिसके तहत उनके पदों को वंशानुगत बना दिया। इस तरह फिरोज के काल में आकर इक्ता व्यवस्था सामंती संरचना के समकक्ष हो गयी।

Scanned with CamScanner

परिणाम / महत्व / मूल्यांकन —

सकारात्मक :-

(1) दिल्ली सल्तनत का क्षेत्रीय विस्तार करने में इक्ता व्यवस्था सहायक सिद्ध हुयी चूँकि दूरस्थ क्षेत्रों में इक्ता प्रदान की गयी अतः सुल्तानों का नियंत्रण दूरस्थ क्षेत्रों में भी स्थापित हुआ।

(2) इक्ता व्यवस्था के माध्यम से भू-राजस्व का संग्रह और राजकोष में उसकी पहुँच सुनिश्चित हुयी फलतः सल्तनत के सुदृढ़ीकरण में इसकी भूमिका रही।

(3) इक्तादार आर्थिक रूप से सशक्त वर्ग के रूप में सामने आये अतः उनकी आवश्यकता एवं रुचियों की पूर्ति के क्रम में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। चूँकि इनके निवास, सैन्य छावनी, प्रशासनिक केंद्र विभिन्न सुविधाओं से युक्त थे। अतः नगर के रूप में इनका विकास हुआ। इस तरह तृतीय नगरीकरण को प्रोत्साहन मिला।

4) इक्ता व्यवस्था के माध्यम से सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिला। वस्तुतः इक्तादार वर्ग में तुर्की, भारतीय मुस्लिम और गैर मुस्लिम लोग शामिल थे। अतः उनके रहन-सहन, खान पान और विचारों का आपस में समन्वय हुआ। अतः एक मिश्रित संस्कृति का विकास हुआ। इसी क्रम में साहित्य के विकास के तहत उर्दू भाषा एवं साहित्य

Scanned with CamScanner

का विकास हुआ। जिसे मुख्यतः सैन्य छावनियों से विकसित माना जाता है तो साथ ही स्थापत्य की इण्डो-इस्लामिक शैली का विकास हुआ।

(5) इसी तरह इक्तादार स्वतंत्र होकर क्षेत्रीय राज्य की स्थापना से जुड़े तो फिर कला की क्षेत्रीय संस्कृति शैली भी सामने आयी।

नकारात्मक :-

(1) इक्तादार राजस्व एवं प्रशासनिक अधिकार से युक्त थे। अतः सुल्तान की कमजोरी का लाभ उठाकर अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते थे। इस तरह यह राज्य में विघटनकारी तत्व के रूप में विद्यमान थे।

(2) ये इक्तादार राजस्व अधिकारों के साथ-2 प्रशासनिक अधिकारों से भी युक्त थे अतः इनमें शोषण की प्रवृत्ति प्रवृति का विकास हुआ और अब फिरोज के समय इक्तादारों का पद वंशानुगत बना दिया गया तो शासन कमजोर हुआ, दखारी गुटबंदी को बढ़ावा मिला। सैन्य तंत्र कमजोर हुआ, इक्तादार परतंत्र होने लगे। इन कमजोरियों ने सल्तनत के पतन का मार्ग प्रशस्त किया।

(3) वस्तुतः जिस तरह मुगलकाल में जागीरदारी व्यवस्था में आयी कमजोरी ने मुगल साम्राज्य के विघटन में भूमिका निभायी। उसी तरह इक्तादारी व्यवस्था में भी आयी कमजोरी ने सल्तनत के पतन में अपनी भूमिका निभायी।

Scanned with CamScanner